भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1228

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान

† 1228. श्री पोचा ब्रहमानंद रेड्डीः

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को मिलाकर इसके अंतर्गत अर्ध-न्यायिक, अपीलीय और न्यायिक मंचों पर फंसी हुई कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कुल कितने निपटारे किए गए हैं और सबका विश्वास (लेगेसी डिसपुट रेजोल्यूशन) स्कीम, 2019 में कितनी धनराशि शामिल है जिसे सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लंबित विवादों के निपटारे के उद्देश्य से बनाया गया था?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): दिनांक 31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत अर्ध न्यायिक, अपीली और न्यायिक मंचों के समक्ष वादों में फंसी कुल धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	मंच	संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1	उच्चतम न्यायालय	2327	31088.96
2	उच्च न्यायालय	9952	45893.47
3	सेस्टेट (CESTAT)	51841	184860.65
4	आयुक्त (अपील)	16068	8015.86
5	न्याय निर्णयन (आयुक्त तक)	64368	145313.85
6	**कुल**	**144556**	**415172.83**

(ख): सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान योजना, 2019) के अंतर्गत दिनांक 05.02.2020 तक कुल 49534 वादों का समाधान हो गया है जिनमें कुल 24970 करोड़ रुपये की राशि निहित थी।

*****